11

आदेश की क्रम सं0 एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

न्यायालय, अपर समाहर्त्ता, खगड़िया
जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0–13/12–13
अंचल अधिकारी, परबत्ता वनाम रामजोरी यादव
आदेश

13.8.14

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोगरी ने अपने पत्रांक 154 दिनांक 22.02.2013 द्वारा अंचल अधिकारी, परबत्ता द्वारा प्रतिवेदित जमाबंदी रद्द वाद संख्या–13/12–13 वनाम रामजोरी यादव अनुशंसा के साथ इस न्यायालय में प्रेषित किया है।

विवादी जमीन का व्यौरा निम्न प्रकार है :–

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकवा बी0 क0 धू0 धू0
पिपरालतीफ	335	227	482	00–06–11–00

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोगरी का आदेश दिनांक 22.02.2013 के अवलोकन (अभिलेख का पन्ना 04 से 05) से स्पष्ट है कि मड़ैया ओ0पी0 थाना भवन निर्माण हेतु मौजा–पिपरालतीफ, थाना–351, खाता–227, खेसरा–482 में 01 एकड़ भूमि अंतरण हेतु प्रस्तावित भूमि पर आपत्ति उठायी गयी है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोगरी ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि विधिवत प्रचार–प्रसार कर किसी के द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर तथा ग्राम पंचायत के आम सभा द्वारा भी थाना भवन हेतु भूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव पारित करने के वाबजूद रामजोरी यादव ने बहुत दिनों के बाद आपत्ति उठायी है कि उन्होंने उपरोक्त प्रश्नगत भूमि का केवाला द्वारा क्रय किया है और नया जमाबंदी संख्या–165 कायम की गयी है। उनका केवाला और प्रश्नगत भूमि की चौहद्दी में भी अंतर बताया है। जमीन पर रामजोरी यादव का दखल भी स्पष्ट नहीं है जैसा कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के उक्त आदेश को पढ़ने से प्रतीत होता है।

रामजोरी यादव ने आपत्ति आवेदन पत्र दाखिल किया है। उसका अवलोकन किया। उन्होंने प्रश्नगत भूमि अपनी खरीदगी बताया है तथा दाखिल खारिज वाद संख्या–52/07–08 के द्वारा उनके नाम जमाबंदी संख्या–1655 भी संधारित है। अंचल अधिकारी, परबत्ता से उक्त नामान्तरण अभिलेख का नकल मांगने पर नहीं देते हैं। उनके विक्रेता की जमाबंदी बहुत पुश्तैनी दिनों से चली आ रही है इसलिए ऐसी परिस्थिति में उनका जमाबंदी रद्द नहीं होना चाहिए।

उभयपक्ष को सुना। वाद को आदेश पर रखा गया। इसी बीच विपक्षी रामजोरी यादव ने एक आवेदन पत्र देकर कहा कि दिनांक 23.07.2014 को अंचल अधिकारी, परबत्ता ने जबरदस्ती प्रश्नगत भूमि का पैमाईश उनके विरोध के बावजूद कर

डी० बी० न० -123
N.:i.e., खगड़िया।

(3)

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्ष

1	2
	लिया है और पिलर भी गाड़ दिया है जबकि वाद में अंतिम अंचल अधिकारी, परबत्ता पर कार्रवाई हेतु अनुरोध किया है। उभयपक्ष को सुना। दाखिल कागजातों का परि उप समाहर्त्ता, गोगरी द्वारा दिनांक 22.02.13 को अ अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि बिहार सरकार ग हस्तान्तरण का कोई वैध कागजात विपक्षी द्वारा प्रस्तुत विवादी जमीन पर उनका दखल भी नहीं है। ऐसी स्थिति अमान्य है। फलस्वरूप अंचल अधिकारी, परबत्ता पर कार अनुरोध भी अमान्य है। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में मैं बिहार दाखिल प्रावधान के अनुसार विपक्षी रामजोरी यादव के नाम कायम करता हूँ। इसी आदेश के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त व आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, परबत्ता तथ गोगरी को भी भेजें। लेखापित एवं संशोधित। 20/3/14 अपर समाहर्त्ता, खगड़िया। डी० बी० न०- 123 /दिन प्रतिलिपि :- भूमि सुधा